	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 24, सोमवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 16, 2023 *Asvina 24, Monday, Saka 1945- October 16, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 06, 2023

एस.ओ.86 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना प.37(1)गृह-9/2021 दिनांक 26-08-2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

संख्या प.37(1)गृह-9/2021
राज्यपाल के आदेश से,

सीमा कुमार,
संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 26, 2022

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाने की रीति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में इसे समनुदेशित है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूपअभिप्रेत है; और

(ङ) "अनुज्ञप्ति" से इन नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये परंतु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन.-(1) प्रत्येक अभिकरण, जब अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप-1 में आवेदन करते समय अपने पूर्ववृत के सत्यापन के लिए प्ररूप-2 भी संलग्न करेगा।

(2) यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म या कोई व्यक्तियों का संगम है तो कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक का आवेदन, जैसे कि वे भी आवेदक हैं,प्ररूप-2 के साथ प्ररूप-1 में होगा । इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) में अंतर्वलित उपबंधों के संबंध में ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए वह प्ररूप-3 में एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

(3)प्ररूप-1,प्ररूप-2 औरप्ररूप-3 की प्राप्ति पर,नियंत्रक प्राधिकारीआवेदन की अंतर्वस्तु और आवेदक की विशिष्टियों का सत्यापन करने के लिए ऐसी जांच, जैसी वह आवश्यक समझे, कर सकेगा।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन और इसके संलग्नकों की प्रति, सत्यापन के लिए दो प्रतियों में उस क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक को,जहां अभिकरण अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करने का आशय रखता है,उसकी रिपोर्ट/अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए प्रेषित करेगा।

(5) पुलिस उपायुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक व्यक्ति, जिनके नाम से पूर्ववृत प्रपत्र भरा गया है, के पूर्ववृत का सत्यापन कराने के अतिरिक्त, निम्नलिखित सूचना भी देगा, अर्थात्:-

(क) क्या आवेदक या कंपनी ने व्यक्तिगत रूप से या अन्य के साथ भागीदारी में किसी निजी सुरक्षा अभिकरण का संचालन किया है और यदि हां, तो उसके ब्यौरे; और

(ख) क्या आवेदक कोई ऐसी विशेष अर्हता या कौशल रखता है, जो उसके प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के संचालन को सुकर बनाता है।

(6) पुलिस उपायुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट/अनापत्ति प्रमाणपत्र अग्रेषित करेगा। वह रिपोर्ट/अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति अपने कार्यालय अभिलेख में और संबंधित पुलिस थाने में रखेगा।

(7) क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क्स एण्ड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) और इंटरओपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स (आईसीजेएस) के सुचारू रूप से संचालन प्रारंभ होने के पश्चात्, पूर्ववृत और चरित्र सत्यापन केवल सीसीटीएनएस और आईसीजेएस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही किये जायेंगे।

(8) जब कभी किसी आवेदक का पूर्ववृत पहले ही किसी अन्य राज्य में सत्यापित कर लिया गया हो और अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर दी गई हो, तब नियंत्रक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नए सिरे से पूर्ववृत का सत्यापन करे परंतु अनुज्ञप्ति, जिसके लिए पूर्ववृत सत्यापन किया गया है,विधिमान्यता की अवधि के भीतर होनी चाहिए।

(9) प्ररूप-1 में आवेदन के साथ अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट नियंत्रक प्राधिकारी को संदेय फीस के संदाय को दर्शित करते हुए डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संलग्न होगा।

(10) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जायेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से भेजा जायेगा।
(11) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, नियंत्रक प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त किये जाने की तारीखउस पर लिखने के पश्चात्, आवेदक को इलेक्ट्रानिक या डिजिटल अभिस्वीकृति देगा।

(12) नियंत्रक प्राधिकारी,प्ररूप-1 में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्ररूप-4 में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा:

परंतु यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण ने पहले ही किसी अन्य राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है, तब अनुज्ञप्तिधारी के प्रशिक्षण की अपेक्षा आवश्यक नहीं होगी।

(13) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य साधन द्वारा अभिकरण द्वारा उपलब्ध करवाये पते या पतों पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण परिसरों को सत्यापित करेगा।

(14) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए आवेदन में यथा उल्लिखित संबंधित राज्य में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के प्रधान कार्यालय को अनुज्ञप्ति की भौतिक प्रति जारी करने से पंद्रह दिन के भीतर डाक द्वारा परिदत्त करवायेगा जिसे वह प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने कारबार के स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होगा।

(15) अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के आवेदन को अस्वीकृत किये जाने के मामले में इंकार का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि, -

(क) आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो; और

(ख) आधार, जिन पर अनुज्ञप्ति को नामंजूर किया गया है, आदेश में उल्लिखित न किये गये हों।

(16) नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सभी प्रकार से उसके पूर्ण होने पर प्ररूप-1 में आवेदन पर आदेश पारित करेगा।

(17) यदि आवेदक अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् कोई परिवर्तन करता है, जैसे कंपनी के नाम, निदेशक/भागीदार/स्वत्वधारी के नाम में परिवर्तन या कंपनी के पते का परिवर्तन, या अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति (खोने/चोरी के मामले में) के लिये आवेदन करता है तो 25,000 रूपये की फीस प्रभारित की जायेगी, जिसके लिए डिमांड ड्राफ्ट या समुचित बजट शीर्ष के अधीन चालान (ई-ग्रास) के माध्यम से समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

4. अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने की शर्तें.- (1) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्राइवेट सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण उसके द्वारा नियत किये गये समय के भीतर सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित ब्यौरेवार प्रशिक्षण पाठ्य विवरण विरचित करेगा।

(3) प्रशिक्षण, नियम 8 के उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के लिए होगा। प्रशिक्षण में विस्तृत रूप से निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(i) वर्तमान सुरक्षा रूपरेखा;
   - (क) वीआईपी सुरक्षा;
   - (ख) आंतरिक सुरक्षा;
   - (ग) संस्थागत सुरक्षा;

(ii) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका और कृत्यकरण:
   - (क) अग्निशमन;
   - (ख) आपदा/आपातकालीन प्रबंधन प्रोटोकाल;
   - (ग) सुरक्षा कर्त्तव्य;
   - (घ) विभिन्न दस्तावेजों की जांच;
   - (ङ) सूचना सुरक्षा;
   - (च) अभिगम नियंत्रण;
   - (छ) विस्फोटक, आईईडी;
   - (ज) एंटी सबोटाज चेक (एएससी); प्रति अभिध्वंस जांच (एएसबी)
   - (झ) सुरक्षा संबंधी उपस्कर;
   - (ञ) संसूचना उपस्कर;
   - (ट) पेट्रोलिंग;और
   - (ठ) चौकी कर्त्तव्य;

(iii) विधिक उपबंध:
   - (क) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम, 2005 (2005 का केंद्रीय अधिनियम सं. 29),राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) नियम 2022 और राजस्थान

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (नकद परिवहन क्रियाकलापों प्राइवेट सुरक्षा) नियम, 2019 और;

(ख) श्रमिक विधियां;

(iv) सुरक्षा अभिकरणों का प्रबंध:

(क) वर्दी;

(ख) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के कार्मिकों का प्रशिक्षण;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेज और अभिलेख;और

(घ) डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल;

(v) जनसाधारण, पुलिस और अन्य विभागों के साथ इंटरफेस:

(क) जनसाधारण के साथ इंटरफेस;और

(ख) पुलिस और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क;और

(VI) प्राइवेट सुरक्षा कार्मिक - क्या करना है और क्या नहीं करना है (आचरण नियम)।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के पते में किसी परिवर्तन या प्रबंध में किसी परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचना देगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी,अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा लगाये गये या नियोजितप्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरुद्ध विरचित किसी आपराधिक आरोप के बारे में नियंत्रक प्राधिकारी को तत्काल सूचना देगा। ऐसी संसूचना की एक प्रति उस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजेगा जहां आरोपित व्यक्ति निवास करता है।

(6) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी शर्तों के रूप में इन नियमों में यथानिर्दिष्ट प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानकों और उनके प्रशिक्षण की अपेक्षाओं,जिन पर अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, का पालन करेगा।

(7) इन नियमों में यथा उपबंधित के समान, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी।

(8) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के छह माह के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करेगा।

(9) क्रियाकलापों काप्रारंभ, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन यथा उपबंधित और नियम 10 के अनुसरण में कार्यालय परिसर का संस्थापन और पर्यवेक्षकों का लगाया जाना सम्मिलित करेगा।

(10) किसी ऐसे अभिकरण, भागीदारी फर्म या कंपनी को कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जाएगी जिसके नाम में गुप्तचर, अन्वेषण, निगरानी, खुफिया, पूछताछ, सुविधा, श्रम प्रदाता इत्यादि शब्द सम्मिलित हों या विद्यमान वैध प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के समान कोई नाम अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा, केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नाम भी स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

5. अनुज्ञप्ति का नवीकरण.-(1) प्रत्येक अभिकरण,अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिएवैधता की कालावधि के अवसान से पैंतालीस से अनधिक दिन से पूर्व और अधिनियम की धारा 8 की अन्य शर्तों का पालन करने के पश्चात् प्ररूप-1 के साथ प्ररूप-2 और प्ररूप-3 में नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।

(2) यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म या व्यक्तियों का कोई संगम है तो कम्पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक का आवेदन जैसे कि वे भी आवेदक हैं,प्ररूप-2 के साथ प्ररूप-1 में होगा।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के पूर्ववृत का उसी रीति से, जैसी नियम 3 के उप-नियम (3) और (4) में यथा उल्लिखित है, सत्यापन करेगा।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी प्ररूप-1 में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे,करने के पश्चात् और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्ररूप-4 में अनुज्ञप्ति का नवीकरण अनुदत्त करेगा।

(5) उप-नियम (1) में उल्लिखित कालावधि के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन के प्राप्त न होने के मामले में, अनुज्ञप्ति की कालावधि के अवसान के पश्चात् अभिकरण अननुज्ञप्त अभिकरण माना जायेगा।

(6) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने की कालावधि के अवसान के पश्चात् अभिकरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा।

(7) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस वही होगी, जो नियम 3 के उप-नियम (6) में अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए यथा उल्लिखित है।

(8) उप-नियम (1) में नियत अवधि के पश्चात् और अनुज्ञप्ति के अवसान से पूर्व प्राप्त आवेदन, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

(9) नियंत्रक प्राधिकारी,आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इसके सभी प्रकार से पूर्ण होने पर प्ररूप-1 में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर आदेश पारित करेगा।

(10) नवीकृत अनुज्ञप्ति की वैधता पूर्व अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख से संगणित की जायेगी और इसके नवीकरण की तारीख को विचार में लाये बिना पांच वर्ष तक की होगी। यदि, विद्यमान अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का विनिश्चय किया जाता है, तो मध्यवर्ती अवधि वैध अनुज्ञप्ति के अधीन समझी जायेगी ।

(11) नियंत्रक प्राधिकारी और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण, जिसमें सिविल या सैनिक प्राधिकारी के कृत्य, राष्ट्रीय आपात, बलवे, दैवीय कृत्य सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, से हुई देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

(12) यदि प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम की शर्तों को पूर्ण नहीं करता है,तो नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुज्ञिप्त के नवीकरण से इंकार किया जा सकेगा।

6. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें.- अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुदत्त किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) आवेदक, नियंत्रक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में अपने कारबार के प्रधान स्थान को बनाए रखेगा;

(ii) आवेदक इन नियमों के नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन अपेक्षितअपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डो और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखेगा;

(iii) आवेदक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना जारी रखेगा;

(iv) आवेदक का पूर्ववृत, नियम 3 के उप-नियम (3) और (4) के उपबंधों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

7. प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन.-(1) किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त करने से पूर्वअभिकरण,निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक रीति से ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्तों के बारे में स्वयं का समाधान करेगा, अर्थात्:-

(क) स्वयं द्वारा व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन करके;

(ख) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन प्रमाणपत्र पर निर्भर करके, परंतु अभिकरण के पास किसी अन्य स्त्रोत से व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो; या

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त के प्राधिकार के अधीन पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त हस्ताक्षरित रिपोर्ट पर निर्भर करके; और

(घ) जैसे ही राज्य में सीसीटीएनएस और आईसीजेएस प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करना प्रारम्भ करे, नियंत्रक प्राधिकारी या पुलिस के माध्यम सेचरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन के लिएक्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क्स और सिस्टम्स (सीसीटीएनएस), अंतरसंचालित आपराधिक न्याय तंत्र(आईसीजेएस) जैसे अपराध और अपराधियों के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसकी पहुंच से चरित्र और पूर्ववृत सत्यापनकिया जाएगा।

(2) सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित किये जाने या लगाये जाने की वांछा रखने वालाव्यक्ति,अभिकरण को प्ररूप-5 प्रस्तुत करेगा । इसके अतिरिक्त, वह अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों से संबंधित ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्ररूप-6 में एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) पुलिस विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन, पुलिस विभाग द्वारा अधिकृत पोर्टल /राजस्थान सरकार के ई-मित्र के माध्यम से विहित फीस जमा करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकेगा।

(4) प्राधिकारी, जिसे आवेदन दिया गया है, सुनिश्चित करेगा कि चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट, चरित्र और पूर्ववृतप्ररूप की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जारी कर दिया जाये।

(5) एक बार जारी की गयी चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट, नियोक्ता की प्रास्थिति में परिवर्तन हो जाने के बाद भी पांच वर्ष तक वैध रहेगी ।

(6) चरित्र और पूर्ववृत के सत्यापन के आधार पर अभिकरण,प्ररूप-7 में एक चरित्र और पूर्ववृत प्रमाणपत्र जारी करेगा और यह प्रमाणपत्र ऐसे अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जायेगा चाहे वह व्यक्ति उस अभिकरण का कर्मचारी न रहे ।

8. सुरक्षा प्रशिक्षण.-(1) नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के अनुसार, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित ब्यौरेवारप्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। प्रवेश स्तर के लिए, यह प्रशिक्षण कम से कम बीस कार्य दिवसों की अवधि में, न्यूनतम सौ घंटे की कक्षा अनुदेश और साठ घंटे का फील्ड प्रशिक्षण का होगा। भूतपूर्व सैनिकों/ पूर्व अर्धसैन्य बलों/पूर्व पुलिसकार्मिकों,होम गार्ड कार्मिकों और होम गार्ड स्वयंसेवकों को न्यूनतम सात कार्य दिवस में विस्तृत सघन पाठ्यक्रम में न्यूनतम चालीस घंटे कक्षा अनुदेश और सोलह घंटे फील्ड प्रशिक्षण में हाजिर होना होगा।

(2) प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय सम्मलित होंगे:-

(क) जनता में आचरण और वर्दी को सही ढंग से पहनना;

(ख) शारीरिक समर्थता प्रशिक्षण;

(ग) शारीरिक सुरक्षा, आस्तियों की सुरक्षा, भवन/अपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा;

(घ) अग्निशमन;

(ङ) भीड़ नियंत्रण;

(च) पहचान पत्र, पासपोर्ट और स्मार्ट कार्ड को सम्मिलित करते हुए पहचान दस्तावेजों की जांच;

(छ) अंग्रेजी अक्षरों और अरबी अंकों जो सामान्यतया पहचान दस्तावेजों, अस्त्र अनुज्ञप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में आते हैं,को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए;

(ज) परिष्कृत विस्फोटक उपकरणों की पहचान;

(झ) प्राथमिक चिकित्सा;

(ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन;

(ट) रक्षात्मक चालन (सशस्त्र वाहनों के चालक के लिए अनिवार्य और अन्य के लिए वैकल्पिक);

(ठ) अप्रतिषिद्ध आयुधों और अग्न्यायुधों की हैंडलिंग और प्रचालन (वैकल्पिक);

(ड) भारतीय दण्ड संहिता, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने के लिये प्रक्रिया,आयुध अधिनियम (केवल प्रभावी धारायें), विस्फोटक अधिनियम (प्रभावी धारायें) का प्रारंभिक ज्ञान;

(ढ) पुलिस और सैन्य बलों के रैंक के बैज;

(ण) जनता और पुलिस द्वारा उपयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के आयुधों की पहचान;

(त) सुरक्षा उपस्करों और उपकरणों का उपयोग (उदाहरण के लिए; सुरक्षा अलार्म और छानबीन उपस्कर); और

(थ) नेतृत्व और प्रबंध (केवल पर्यवेक्षकों के लिए)।

(3) सुरक्षा गार्ड को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

(4) प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्ररूप-8 में एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

(5) अन्य राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों से गार्डों/पर्यवेक्षकों/अनुज्ञप्ति आवेदकों को जारी किये गये प्रशिक्षण प्रमाणपत्र राजस्थान राज्य में भी स्वीकार किये जायेंगे।

(6) नियंत्रक प्राधिकारी समय-समय पर स्वयं या अपने स्वयं के अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधा के कृत्यकरण का निरीक्षण करेगा। सामान्यतया ऐसा निरीक्षण वर्ष में कम से कम दो बार किया जाना चाहिये।

(7) समस्त प्रशिक्षण अभिकरण/प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण,प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को,नियंत्रक प्राधिकारी को चालू वर्ष के सफल प्रशिक्षणार्थियों की सूची, इसके द्वारा विहित रीति में, प्रस्तुत करेंगे ।

(8) पूर्ण किये प्रशिक्षण और कार्य की अपेक्षा के आधार पर, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के स्वयं के पदाभिधान हो सकेगें परन्तु कोई अभिकरण सशस्त्र बलों, अर्ध सैनिक बलों या राज्य पुलिस बलों के किसी रैंक/बैज को अंगीकृत नहीं करेगा ।

(9) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से, किसी प्राइवेट प्रशिक्षण अभिकरण के प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को दिये गये प्रशिक्षण और कौशल को सत्यापित कर सकेगा।

(10) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञप्ति को जारी रख सकेगा या अन्यथा पुनर्विलोकन कर सकेगा जिन्होंने अपनी नामावली पर प्रशिक्षित कार्मिकों की शर्तों का अनुपालन न किया हो ।

9. सुरक्षा गार्डों/पर्यवेक्षकों के लिए शारीरिक योग्यता के मानक.-(1) कोई व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में लगाये जाने या नियोजित किये जाने का पात्र होगा यदि वह नीचे यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक योग्यता के मानकों को पूर्ण करता है,-

(i) कद 160 सेमी. (महिला 150 सेमी.), कद और वजन की मानक सारणी के अनुसार वजन, 4 सेमी फुलाव सहित सीना 80 सेमी. (महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है)।

(ii) नेत्र दृष्टि: दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 सुधार के साथ या उसके बिना, वर्णांधता से मुक्त, सुरक्षा उपस्करों में रंगीन प्रदर्शों की पहचान और विभेद करने में और प्रदर्श में अंग्रेजी अक्षरों और हिन्दी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए।

(iii) भीतर मुड़े घुटनों और समतल पैर से मुक्त और छह मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य होना चाहिये।

(iv) श्रवणः दोष से मुक्त हो; सुनने और बोलने की आवाज और सुरक्षा उपस्करों द्वारा जनित अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य होना चाहिये।

(v) अभ्यर्थी तलाशी लेने,वस्तुओं को संभालने और आवश्यकता होने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बलप्रयोग करने के लिएनिपुण और समर्थ होना चाहिये।

(2)अभ्यर्थी किसी स्पर्शजन्य रोग या संक्रामक रोग के लक्षण से मुक्त होना चाहिये। वह ऐसेकिसी रोग से ग्रसित न हो जिसकाउसकी सेवा के दौरानगुरुत्तर होनेया जिससे उसके सेवा के लिएअयोग्य होने या जिससे जनता के स्वास्थ्य कोखतरा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(3)अभिकरणसुनिश्चित करेगा कि इसके लियेकार्यरत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक की पिछली चिकित्सा परीक्षा से प्रत्येक 12 मास के पश्चात् चिकित्सा परीक्षा हो जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवेश स्तर के लिये यथा विहित शारीरिक मानक निरतंर बने हुये हैं।

10.पर्यवेक्षकों के लिए उपबंध.-(1)पंद्रह से अनधिक प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के कार्य का पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षकहोगा।

(2)यदि प्राइवेट सुरक्षा गार्डविभिन्नपरिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैंऔर एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य कापर्यवेक्षण करना व्यवहार्य नहीं है,अभिकरणअधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्त करेगाजिससे कम से कम प्रत्येक छह प्राइवेटसुरक्षा गार्डों की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।

11.अपील और प्रक्रिया.-(1)अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा(1)के अधीन प्रत्येक अपील व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर करप्ररूप-9 में होगी औरव्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार कोप्रस्तुत की जायेगी या उसको रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी।

(2) अपील,अपील प्राधिकारी को संदेय एक हजार रूपये के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के साथहोगी।

12.अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर.- अधिनियम के अधीन अभिकरण द्वारा रखे जाने के लिएअपेक्षित रजिस्टरप्ररूप-10 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में या भौतिक रूप में रखेजायेंगे।

13. फोटो पहचान पत्र.-(1) अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा(2)के अधीन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्येक फोटोपहचान पत्र प्ररूप-11 में होगा।

(2)फोटो पहचान पत्र में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के पूरे चेहरे का रंगीन फोटो,पूरा नाम,अभिकरण का नाम औरउस व्यक्तिकाकर्मचारी संख्यांक, जिसे फोटो पहचान पत्र जारीकिया गया है।

(3)फोटो पहचान पत्र,अभिकरण में व्यक्ति कीप्रास्थिति और वह तारीख जिस तक फोटो पहचान पत्र वैध रहेगा,स्पष्ट रूप सेउपदर्शितकरेगा।

(4)फोटो पहचान पत्र को अद्यतन रखा जायेगा और विशिष्टियों में कोईपरिवर्तन उसमें प्रविष्टकियाजायेगा।

(5)प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को जारी फोटो पहचान पत्र, उसे जारी करने वाले अभिकरण को लौटा दिया जायेगाजबप्राइवेट सुरक्षा गार्डउसकेद्वारा लगाया नहीं जाता है या नियोजित नहीं किया जाता है।

(6)फोटो पहचान पत्र के खो जाने या चोरी हो जानेपर उस अभिकरण की जानकारी में तुरंत लाया जायेगा, जिसनेउसे जारीकिया था।

14.अन्य शर्तें.-(1)अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर वर्दी पहननाअनिवार्य करेगा (जैसी आवेदन के समय अनुमोदित की गई थी), प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षागार्डो को निम्नलिखित जारी करेगी और पहनना बाध्यकर करेगा;

(क) अभिकरण को सुभिन्न करने वाला बाजू पर पहनने वाला बैज;

(ख) संगठन में उसकी प्रास्थिति को दर्शाने वाला कंधे या सीने पर पहनने वाला बैज;

(ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी और जो बांयी जेब में रखी जायेगी;

(घ) फीते और सुराख़सहित जूते;और

(ङ) सिर पर पहनने की टोपी जिस पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का सुभिन्नचिह्न भी हो सकता है;

(2)प्राइवेट सुरक्षा गार्ड,जब वह सक्रिय ड्यूटी पर हो,द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे जो उसकेकुशल प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न न करें। विशिष्टत: वे न तो बहुत तंग होंगे और न ही बहुत ढीले होंगे, जिससे उसकी गतिविधियों याअंगों को मोड़ने में बाधा हो।

(3)प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट-बुक और एक लिखने वाला उपस्कर रखेगा।

(4)प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड,जब वह सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर हो,अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फोटो पहचान पत्र,विशिष्ट रीति से कमर से ऊपर सबसे बाहरी वस्त्र पर पहनेगा और प्रदर्शितकरेगा।

15. **निरसन और व्यावृत्तियां.-** राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2006 इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

परंतु ऐसा निरसन

(i) ऐसे निरसितनियमों के अधीन किये गये किसी कृत्य या किसी कार्रवाई कोप्रभावितनहीं करेगा;या

(ii) ऐसे निरसितनियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी बाध्यता यादायित्व को प्रभावित नहीं करेगा; या

(iii) ऐसे निरसितनियमों के अधीन किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत शास्ति,समपहरण या दंड को प्रभावित नहीं करेगा; या

जैसा ऊपर कहा गया ऐसी बाध्यता, दायित्व, दंड, समपहरण या दंड के बारे मेंकिसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा।

प्ररूप-1

(नियम 3 और 5 देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के कारबारमें लगने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने/अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिएआवेदन

आवेदन प्ररूप

नई/नवीकरण अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन प्ररूप (कृपया (✓) विकल्प को चिह्नांकित कीजिये)

वर्तमान में जारी अनुज्ञप्ति संख्या ..... अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये

सेवामें,

नियंत्रक प्राधिकारी,

.....

.....

अधोहस्ताक्षरकर्त्ता प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में के संचालन सेवाओं का कारबार चलाने के लिए अनुज्ञप्तिअभिप्राप्त करने के लिये इसके द्वारा आवेदन करता है:-

1. आवेदक का पूरा नाम:
2. आवेदक की राष्ट्रीयता:
3. पुत्र/पत्नी/पुत्री:
4. निवासीय पता:
5. पता,जहांआवेदक अपना अभिकरणप्रारंभ करने की वांछा करता है, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी:
6. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम:
7. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के अतिरिक्त ब्यौरे (यदि लागू हों):

(क) सीआईएन सं.....

(ख) ईएसआई सं.....

(ग) ईपीएफ सं.....

(घ) श्रम अनुज्ञप्तिसं.....

(ङ) श्रम रजिस्ट्रीकरण सं.....

(च) जीएसटीसं.....

(छ) कोई अन्य सूचना .....

(ज) क्याअभिकरण के पास एफडीआई है?(हां/नहीं).....

यदि हां, तो निम्नलिखितसूचनादें;

(i) एफडीआई का देश.....

(ii) विदेशीशेयरधारक का नाम .....

(iii) विदेशीशेयरधारक का पता .....

(iv) विनिधान का वर्ष.....

(v) शेयरों का सं.....

(vi) विदेशीअंश धारण का प्रतिशत:.....

(vii) एफडीआई के अनुमोदन ब्यौरे:.....

(कृपया एफडीआई अनुमोदन का सुसंगत दस्तावेज संलग्न कीजिये।)

8. अभिकरण के स्वत्वधारी,भागीदार, बहुसंख्यंक शेयरधारक, निदेशक और अध्यक्ष का नाम और पते:

क्र.सं.	प्रबंधन प्रकार (स्वत्वधारी, भागीदार,बहुसंख्यंक शेयरधारक,निदेशक/अध्यक्ष)	नाम	पता	डीआईएनसं. (यदि हो)	सं.सहित पहचान सबूत

9. उपलब्ध सुविधाओं का नाम और विस्तार:

10. (क)क्याआवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षणसुविधा है या वह इसे आउटसोर्सिंग के आधार पर प्राप्त करेगा? .....

(ख) यदि आवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षणसुविधा है, तो कृपया निम्नलिखित सूचना सूचना उपलब्ध करवायें:

प्रशिक्षणअभिकरण का नाम:

प्रशिक्षणअभिकरण का पता:

प्रशिक्षणअभिकरण केमान्यता ब्यौरे: .....

11. उपस्कर जो सुरक्षा सेवाओं के लिए उपयोग कियेजायेंगे:

(क) डोर फ्रेम्ड मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी)

(ख) हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी)

(ग) माइन डिटेक्टर

(घ) अन्यउपस्कर

(i) बेतार दूरभाष

(ii) अलार्म युक्तियां

(iii) बख्तरबंद वाहन

(iv) आयुध

12. रंग को सम्मिलित करते हुये वर्दी की विशिष्टियां,(कृपया वर्दियों के रंगीन फोटो/चित्र संलग्न करें)।

13. क्याआवेदक एक से अधिक जिलों में संचालन का आशय रखता है? यदि हां तो जिलों के नाम

1_____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

14. क्याआवेदकसंपूर्ण राज्य में संचालन का आशयरखता है? हां/नहीं

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
आवेदक का पता
आवेदककादूरभाषसंख्यांक
आवेदन की दिनांक

संलग्नक:

1. अभिकरण के परिसर का फोटो।
2. समस्त प्रबंधकार्मिकों की पहचान का सबूत।
3. प्रशिक्षणअभिकरण की मान्यता के ब्यौरे (यदि लागू हों)।
4. वर्दियों के रंगीन फोटो।
5. ऊपर पैरा 7 में दिये गयेअभिकरण ब्यौरों के अधीन दस्तावेज(यदि लागू हों)।
6. वर्तमान आयकर अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति।
7. अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा(2)में यथा विहितशपथपत्र
8. नियम 4 (1) के अधीन आवेदक/आवेदकों के प्राइवेट सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र संलग्न कीजिये
9. अन्य संलग्नक।

प्ररूप-2

(नियम3 और 5 देखिए)

आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिएप्ररूप

टिप्पणी:- यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्मयाव्यक्तियों का कोई संगम है तो यह प्ररूप कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी याबहुसंख्यंकशेयरधारकों,भागीदार या निदेशक,जैसेकि वे भी आवेदक हैं, द्वारा भरा जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर .....

केवल कार्यालय उपयोग हेतु		
प्ररूप संख्यांक	पूर्ववृत्त सत्यापन जारीकर्ता:	दिनांक

फीस रकम रु. .....नकद/डी.डी..... बैंक का नाम.....डी.डी.सं. .....

जारी करने की तारीख.....

कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरे: (सावधान: कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्ररूप में गलत सूचना देना या किसी तथ्यात्मक सूचना को छिपानेपरउम्मीदवारको अनुज्ञप्तिअनुदत्त करने के लिएअनुपयुक्त ठहराया जा सकता है।)

1. आवेदक का नाम (आद्यक्षर अनुमत नहीं है)
   प्रथम नाम..... मध्य नाम.....अंतिमनाम.....
2. यदि आपने अपने नाम में कभी कोई परिवर्तनकिया है तो कृपया पूर्व का पूरा नाम (नामों) का उल्लेख कीजिये .....
3. लिंग(पुरूष/महिला).....
4. जन्मतारीख (दिन/मास/वर्ष): .....
5. आधार सं.....
6. पैन सं. .....

7. जन्म का स्थान: गांव/कस्बा.....
जिला.....राज्य और देश.....

8. पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो)(आद्यक्षर अनुमत नहीं है).....

9. माता का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो)(आद्यक्षर अनुमत नहीं है)
.....

10. यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्यक्षर अनुमत नहीं है).....

11. वर्तमान आवासीय पता, गली सं./पुलिसथाना, ग्राम और जिला सहित(राज्य और देश पिन कोड के साथ).....
दूरभाष सं./मोबाइल नं.....

12. उपर-उल्लिखित पते पर किस तारीख से निवास कर रहे हैं,कृपया तारीख लिखिये (दिन/माह/वर्ष).....

13. स्थायी पता,गली सं./पुलिस थाना,ग्राम और जिला (पिन कोड के साथ)सहित
.....

14. यदि आपस्तंभ 11 में दिए गये पते पर पिछले पांच वर्ष से लगातार निवास नहीं कर रहे हैं तो कृपया निवास अवधि (अवधियों)सहित निवास का अन्य पता (पते) का उल्लेख कीजिये।.....से.....तक.....
..पता.....

15. विदेश में निवास के मामले में, इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो उन उस समस्त स्थानों की विशिष्टयां
.....

16. अन्य ब्यौरेः

(क) शैक्षणिक अर्हताएं :

(ख) नियोक्ता के नाम और पते के साथ पूर्व धारित पद, यदि कोई हो:

(ग) पूर्वनियोजन छोड़ने का कारण :

(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिह्न:

(ङ) पिछले तीन वर्ष की आयकर विवरणी:

क्र. सं.निर्धारण वर्ष आईटीआर की प्रति संलग्न है?(हां/नहीं)

1. .....

2. .....

3. .....

(च) अधिनियम की धारा 6 के उपबंध सम्मिलित करते हुए शपथपत्र संलग्न है?(हां/नहीं)

17. क्या आपने पूर्व में किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को संचालित किया है या इसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयरधारक या निदेशक थे? यदि हां, तो अभिकरण का नाम, पता और उसकी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां दीजिये। .....

18. क्या आप जन्म/अवजनन/रजिस्ट्रीकरण/समीकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं: यदि आपने अन्य कोई नागरिकता रखी है तो कृपया पूर्व नागरिकता का उल्लेख कीजिये.....

19. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किये गये हैं? यदि हां, तो न्यायालय, वाद संख्यांक और अपराध के नाम का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिये).....
.....

20. क्या भारत में किसी न्यायालय के समक्ष आपके विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही (कार्यवाहियां) लंबित है/हैं,यदि हां, तो न्यायालय, वाद संख्यांक और अपराध का नाम दीजिए।
.....

21. स्व-घोषणाः

इस प्ररुप में मेरे द्वारा दी गई सूचना और संलग्नक सत्य हैं और मैं यथार्थता के लिए पूर्णत: जिम्मेदार हूं।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक.....

स्थान.....

संलग्नकः

.....

.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप-3

(नियम 3 और 5 देखिए)

शपथपत्र

मैं श्री/सुश्री.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
निवासी.....मैसर्स.....(फर्म/अभिकरण/कंपनी का नाम) का स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक हूं। मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित अभिपुष्ट और घोषणा करता/करती हूं:

1.कि अभिसाक्षी भारत का नागरिक है ।

2.कि अभिसाक्षी 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका/चुकी है ।

3. किस्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के ब्यौरे (कृपया समस्त भागीदारों/निदेशकों के ब्यौरे उपदर्शित कीजिये) निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	स्वत्वधारी/ भागीदारों/निदेशकों के नाम	फर्म/अभिकरण/कंपनी स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक) में पदनाम	आवासीय पता

4.कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक कंपनी की प्रौन्नति, गठन या प्रबंध के संबंध में एक अनुन्मोचित दिवालिया को सम्मिलित करते हुए किसी अपराध(फर्म/अभिकरण/कंपनी के संबध में उसके द्वारा किये गये किसी कपट या दुष्करण) के लिये सिद्धदोष नहीं किया गया है।

5.किअभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशककिसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष नहीं किया गया है जिसके लिए दो वर्ष से अन्यून का दंड विहित है।

6.कि अभिसाक्षी या कोई अन्य स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक -

(क)किसी ऐसे संगठन या संगम,जो उनके क्रियाकलाप के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरा हैं, किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित है, से कोई संबंध नहीं है।

(ख)राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वालेक्रियाकलापों में लिप्त नहीं है।

7.कि अभिसाक्षी या स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशकमें से कोई अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत नहीं किया या हटाया नहीं गया है।

8.कि फर्म/अभिकरण/कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है और ऐसा कोई स्वत्वधारी या बहुमत शेयरधारक,भागीदार या निदेशक नहीं है,जो भारत का नागरिक नहीं है।

9.कि अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के समस्त भागीदार/निदेशक प्राइवेट सुरक्षा गार्डो और पर्यवेक्ष कों को यथा विहित प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराते/देते हुये प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण(विनियम)अधिनियम,2005 (2005 का अधिनियम सं.29) की धारा 9 की उप-धारा(2)के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

10.कि अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के समस्त भागीदार/निदेशक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण(विनियम)अधिनियम,2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं.29) की धारा 11 के यथा नियत अनुज्ञप्ति कीनिम्नलिखितशर्तों को पूरा करेंगे:-

(i) विहित प्रशिक्षण लेना जिसे अनुज्ञप्तिधारी को करना है;

(ii) अभिकरण गठित करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के ब्यौरे देना;

(iii) अपने पते में किसी परिवर्तन, प्रबंध में किसी परिवर्तन के संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर सूचना उपलब्ध करवाने की बाध्यता;

(iv) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण या, यथास्थिति, उनके द्वारा नियोजित या लगाये गये प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के उनके कर्तव्यों के पालन में,उनके विरूद्ध लगाये गये किसी भी आरोप के संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी को, समय-समय पर, सूचना देने की बाध्यता;

(v) नियंत्रक प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2)के अधीन प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में सत्यापन कर सकेगा और यदि अभिकरण ने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्त का पालन नहीं किया है,प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण कीअनुज्ञप्ति को जारी रखने या अन्यथा का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

11.किअभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिसमें कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं है या न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

किअभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिसमें मामले रजिस्ट्रीकृत हैं या न्यायालय में लंबित हैं।(ब्यौरे संलग्न कीजिये)

12.कि अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के समस्त भागीदार/निदेशक,प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण(विनियम)अधिनियम,2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे और मैसर्स.....के नाम और शीषर्क से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध करते हुए अधिनियम के अधीन नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का भी अनुपालन करेंगे ।

अभिसाक्षी

सत्यापन:- मैं .....(दिनांक) ..... को एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि इस शपथपत्र की उपर्युक्त अंतर्वस्तु मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है और इसमें कुछ नहीं छिपाया गया है।

अभिसाक्षी

टिप्पण:-

(i) बिंदु सं.4 से 8अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन से संबंधित है।

(ii) बिंदु सं. 9 अधिनियम की धारा 9(2)के अनुपालन से संबंधित है।

(iii) बिंदुसं.10 और 11 अधिनियम की धारा 11 के अनुपालन से संबंधित है।

(iv) उन बिंदुओं को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

प्ररूप-4

(नियम 3(12) और 5(4)देखिए)

राजस्थानसरकार

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणमें लगने की अनुज्ञप्ति

क्रम सं.....

दिनांक.....

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम .....

श्री.....(आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....(पूर्ण पता) को राजस्थान राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा.....जिला (जिले)/राज्य में (लागू नहीं होनेवाले शब्दों को हटा दें) ..... पर कार्यालय सहित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण कारबार प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

जारी करने का स्थान .....

जारी करने की दिनांक .....

यह अनुज्ञप्ति.....तक वैध है।

हस्ताक्षर

अनुदत्त करने वाला प्राधिकारी का नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

नवीकरण

(नियम 5(4)देखिए)

क्र. सं.	नवीकरण की तारीख	अवसान की तारीख
1.		
2.		
3.		
4.		

हस्ताक्षर

नवीकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

प्ररूप-5

(नियम 7(2) देखिए)

सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

आवेदक के हस्ताक्षर.....

केवल कार्यालय उपयोग के लिए		
प्ररूप संख्यांक	**चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन जारीकर्ता :**	**तारीख**

फीस रकम रु. .....नकद/डी.डी.....बैंक का नाम.....डी.डी.सं. .....

जारी करने कीदिनांक.....

कृपया बड़े अक्षरों में भरिये

(सावधान: कृपया सही सूचना प्रस्तुत कीजिये। प्ररूप में गलत सूचना देने या वास्तविक सूचना को छिपाने पर अभ्यर्थी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण मे नियोजन/लगाये जाने के अनुपयुक्त माना जाएगा।)

1.आवेदक का नाम जैसा फोटो पहचान पत्र में दर्शित हो (आद्यक्षर अनुज्ञात नहीं है)

अंतिम नाम.....प्रथम नाम.....

2. यदि आपने कभी अपना नाम परिवर्तित किया है, कृपया पिछले पूरे नाम (नामों) को उपदर्शित कीजिये।

3.लिंग(पुरुष/महिला)

4. जन्म की तारीख (दिन/माह/वर्ष).....

5. आधार सं.....

6. जन्म का स्थान: ग्राम/नगर.....

जिला..... राज्यऔर देश .....

7.पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो):(आद्यक्षर अनुज्ञात नहीं है)

8. माता का नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो)(आद्यक्षर अनुज्ञात नहीं है)

9. यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो)(आद्यक्षर अनुज्ञात नहीं है)

10.वर्तमान आवासीय पता, गली, सं./पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित(राज्य/देश पिन कोड सहित)

दूरभाष सं./मोबाइल सं.....

11. कृपया उपर्युक्त उल्लेखित पते पर जिस तारीख से निवास कर रहे हैं, दीजिए: दिन/माह/वर्ष

.....

12. स्थायी पता गली सं./पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड सहित)

.....

.....

13. यदि आपने गत पांच वर्ष से निरंतर स्तंभ (10) में दिये गये पते पर निवास नहीं किया है, कृपया निवास का अन्य पता (पते) अवधि (अवधियों) सहित दीजिये।

से.....तक..... पता

....

....

14.विदेश में निवास के मामले में, इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् जहां आपने एक वर्ष से अधिक निवास किया हो,उन समस्त स्थानों की विशिष्टियां दीजिए:

.....

15. अन्य ब्यौरे :-

(क)शैक्षिक अर्हताएं :-

(ख) नियोक्ता के नाम और पते सहितपूर्व में धारित पद

.....

(ग)पिछला नियोजन छोड़ने का कारण .....

(घ) शरीर पर दृश्य विभेदक पहचान चिह्न .....

(ड) कद(सें.मी.).....

(च)अधिनियम की धारा 10(1)और(2)के उपबंधों को सम्मिलित करते हुए शपथपत्र संलग्न है:हां/नहीं

16. क्या आप केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/कानूनी निकाय में सेवारत हैं:हां/नहीं

17.क्या आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं? क्या आपने कभी अन्य कोई नागरिकता धारण की थी, तो कृपया पूर्व नागरिकता उपदर्शित कीजिये

.....

18. क्या आप किसी दांडिक अपराध के लिएभारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्टकिये गए हैं? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्यांक और अपराध का विवरणदीजिए (निर्णयकी प्रति संलग्न कीजिए).....

19. क्या भारत में आपके विरुद्धकिसी न्यायालय के समक्ष कोई दांडिक कार्यवाही (कार्यवाहियां) लंबित है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्यांक और अपराध का विवरण दीजिए।

.....

20.क्या किसी न्यायालय द्वारा उपस्थिति होने के लिए कोई वारंट या समन या गिरफ्तारी के लिये वारंट या भारत से आपको बाहर जाने से प्रतिषिद्ध करने का आदेश जारी किया गया है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्यांक और अपराध का विवरण दीजिए।.....

21. स्व-घोषणा:

इस प्ररूप में मेरे द्वारादी गई सूचना और संलग्नक सत्य हैं और मैं इनकी शुद्धता के लिए पूर्णत: जिम्मेदार हूं।

22.अंगूठा निशानी :-

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक.....

स्थान .....

संलग्नक:

.....

.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप-6

(नियम 7(2) देखिए)

शपथपत्र

मैं श्री/सुश्री.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....(आवासीय पता) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण मैसर्स .....(फर्म/अभिकरण/कंपनी का नाम) .....(फर्म/अभिकरण/कंपनी का पता) में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। मैं एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं:

1.कि मैं भारत का नागरिक हूं।

2.कि मैंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है लेकिन 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। मेरे जन्म की तारीख ..... है।

3.कि मुझे सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं किया गया है।

4.कि मुझे संघ के किसी सशस्त्र बल, राज्य पुलिस संगठन, केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते हुये अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर पदच्युत नहीं किया या हटाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन:- मैं.....(तारीख).....को एतदद्वार प्रतिज्ञानकरता हूं कि इस शपथपत्र के उपर्युक्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सत्य और सही हैं और उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गयाहै।

अभिसाक्षी

टिप्पण: प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण(विनियम)अधिनियम,2005 (2005 का केंद्रीय अधिनियम सं. 29) की धारा 10 की उपधारा (2)के उपबंधअभिसाक्षी की जागरूकता के लिएशपथपत्र के पृष्ठभाग पर निम्नानुसारमुद्रितकियेजा सकेंगे:

"धारा 10.प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होने के लिए अर्हता।

(2)ऐसा कोई भी जो व्यक्ति जो सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है या जिसे संघ के किसी सशस्त्र बल,किसीराज्य पुलिस संगठन,केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणमें, सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर

सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, प्राइवेट सुरक्षागार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जायेगा।"

प्ररूप-7

(नियम 7(6) देखिए)

चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र

(यह प्रमाणपत्र प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण(विनियम)अधिनियम,2005 के नियम में सम्मिलित उपबंधों केअधीन जारीकिया गया है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....पुत्र/पुत्री.....जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, अच्छे नैतिक चरित्र और अच्छी ख्याति का है और आवेदक पिछले एक वर्ष से लगातार निम्नलिखित पते (पतों) पर निवास कर रहा है ।

जन्मतारीख

जन्म स्थान

शैक्षिक अर्हता

व्यवसाय

वर्तमान पता

स्थायी पता

यह प्रमाणपत्र.....के आधार (प्रमाणपत्र के स्रोत)पर जारी किया जाता है और जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा ।

जारीकर्ता प्राधिकारी

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पता/दूरभाष सं.

जारी करने की दिनांक:

प्ररूप-8

(नियम 8(4) देखिए)

प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

क्रम संख्यांक

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम

प्रशिक्षण अभिकरण का पता

प्रशिक्षण अभिकरण मान्यता सं. .....

(इस अभिकरण की मान्यता .....तारीख तक वैध है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....ने ..... से.....तक राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क(एनएसक्यूएफ) के मानक अनुसार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक/अनुज्ञप्तिधारी के रूप में लगाये या नियुक्त किये जाने के लिए विहित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

उसके हस्ताक्षर नीचे अनुप्रमाणित हैं ।

प्रमाणपत्र धारक के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

जारी करने का स्थान

जारी करने की दिनांक

प्ररूप-9

(नियम11 देखिए)

अपील के लिए प्ररूप

अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील

सेवामें,

अपील प्राधिकारी,

.....

अपीलार्थी_____पुत्र/पुत्री_____निवासी_____

बनाम

नियंत्रकप्राधिकारी/श्री/सुश्री_____

उपर्युक्त नामित ने प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 14 के उपबंधों के अधीन आदेश (नियंत्रक प्राधिकारी) के दिनांक_____के विरूद्ध अधिनियम के धारा 14 में विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी को अपील की है। अपील के आधार निम्नानुसार हैं :-

1._____

2._____

3._____

4._____

संलग्नक दस्तावेजों की सूची

.....

हस्ताक्षर

अपीलार्थी का नाम व पदनाम

दिनांक

स्थान

प्ररूप-10

(नियम 12 देखिये)

विशिष्टियों का रजिस्टर

(रजिस्टर क: प्रबंधन ब्यौरे)

क्र. सं.	अभिकरण का प्रबंध करने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के नाम	माता-पिता/पिता कानाम	वर्तमान पता और दूरभाषसं.	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में नियुक्ति/छोड़ने की तारीख

(रजिस्टरख: प्राइवेट सुरक्षा गार्डऔर पर्यवेक्षक)

क्र. सं.	गार्ड/ पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष सं.	अभिकरण में नियुक्ति/छोड़ने की तारीख	स्थायी पता	फोटो	अंगुलियों के निशान	कर्मचारी सं.	तारीख, ईएसआई, ईपीएफ संख्यांक के सहित वेतन और बैंक/शाखा जिसके माध्यम से संदत्त की जायेगी।

(रजिस्टर ग: उपभोक्ता)

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम और दूरभाष सं.	स्थान का पता जहां सुरक्षा उपलब्ध करवायी गयी है	उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्डों की संख्या और रैंक	सेवाओं के प्रारंभ करने की तारीख	सेवाओं की समाप्ति तारीख

(रजिस्टर घ: ड्यूटी रोस्टर)

क्र. सं.	प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	ड्यूटी के स्थान का पता	क्या कोई आयुध/गोला-बारूद उपलब्ध कराए गए हैं	ड्यूटी के प्रारंभ की तारीख और समय	ड्यूटी की समाप्ति की तारीख और समय

प्ररूप-11

(नियम 13 देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के लिए फोटो पहचानपत्र

(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम)

पहचान पत्र सं.....

नाम.....

शासकीयपदनाम.....

कर्मचारीसं.....

रक्त समूह.....

जारी करने की तारीख.....

.....तक वैध है ।

पहचान-पत्रधारक के हस्ताक्षर.....

फोटो

[एफ.सं.37(1)/गृह-9/2021]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

सीमा कुमार,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.